संख्या-184/2019/2480/22-2-2019-17(448)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 05 दिसम्बर, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभान उर्फ खुल्ले पुत्र श्री बृजनन्दन सिंह, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 06.08.2019 दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी चन्द्रभान उर्फ खुल्ले पुत्र श्री बृजनन्दन सिंह, जो महमदपुर अमलैया, थाना-जहानगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 09.07.1996 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा व हंसिया से मारकर 01 व्यक्ति की कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-477/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की धारा 3(2)5 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 30.04.2011 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 08.02.2019 द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट स्तरीय समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि चन्द्रभान उर्फ खुल्ले (बन्दी संख्या-26404) पुत्र श्री बृजनन्दन सिंह, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-184/2019/2480(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in